


पांच कंपनियों में बंटेगा पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम

पूर्वांचल को तीन व दक्षिणांचल को दो कंपनियों में बांटा जाएगा

राज्य ब्लूसे, जागरण ● लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को विभाजित कर पांच नई कंपनियों बनाने का निर्णय लिया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को तीन और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को दो नई कंपनियों में बांटा जाएगा। इन नई कंपनियों में प्रत्येक के पास करीब 30 लाख से 35 लाख उपभोक्ता होंगे। निजीकरण के साथ ही किसी एक निजी घराने के एकाधिकार को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

यूपीपीसीएल मुख्यालय शक्ति भवन में गुरुवार को प्रबंधन की बैठक में इस पर मंथन किया गया। बैठक में यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा. आशीष गोयल भी मौजूद रहे। सहमति बनी कि निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप के लिए पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पांच हिस्सों में बांटना ही बेहतर होगा। पांच कंपनियों के बनने से कई निवेशक आएंगे और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। नई कंपनियों की सीमाएं इनके मंडलों व जिलों में इस तरह से किए जाएंगे कि इनके प्रशासनिक नियंत्रण में असुविधा न हो। प्रत्येक कंपनी में बड़े नगर के साथ ही नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र भी होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में गोरखपुर, प्रयागराज व वाराणसी को केंद्र में रखते हुए तीन कंपनियां बनाई जाएंगी। वहाँ दक्षिणांचल में आगरा व झांसी को केंद्र में रखकर दो कंपनियां बनाई जा सकती हैं।

बैठक में तय किया गया कि सुधार के लिए किए जाने वाले समझौते में अधिकारियों-कर्मियों की सेवा शर्त, वेतन व प्रोलति इत्यादि का स्पष्ट प्रविधान रहे। कर्मचारियों के हितों का



30 से 35
लाख
उपभोक्ता हर कंपनी
के पास होंगे

- यूपीपीसीएल के चेयरमैन डा. आशीष गोयल की मौजूदगी में हुआ मंथन
- गोरखपुर, प्रयागराज वाराणसी, आगरा और झांसी में होंगे नई कंपनियों के मुख्यालय

सुधार के लिए उठाए जाएंगे कदम

अधिकारियों व कर्मचारियों का हित सुरक्षित रहेगा। सेवा शर्त, सेवानिवृत्ति के लाभ में कोई कमी नहीं आएगी। अधिकारियों व कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहला वह जिस स्थान पर हैं बने रहें, दूसरा किसी अन्य कंपनी में चले जाएं और तीसरा आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ ले लें। निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी की जाएगी न की निजीकरण। चेयरमैन शासन का ही कोई अधिकारी होगा। अगर अधिकारी व कर्मचारी सुधार की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे तो नई कंपनी में हिस्सेदारी देने पर विचार किया जाएगा। सुधार सिर्फ वहीं पर होगा जहाँ स्थितियां ठीक नहीं हैं।

ख्याल रखा जाएगा व उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पावर कारपोरेशन से कंपनी में आने वाले कर्मिकों की पदोन्नति बाधित नहीं होगी। ऐसे में नई कंपनियों के सृजन के बाद इसमें कार्यस्त अधिकारियों व

कारपोरेशन के घाटे से ज्यादा बकाया है विजली का बिल

राज्य ब्लूसे, जागरण ● लखनऊ : निजीकरण की तैयारियों का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विरोध दर्ज कराया है। परिषद का कहना है कि पावर कारपोरेशन का घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपये है। वहाँ, उपभोक्ताओं पर वर्ष 2023-24 तक विजली बिल की बकाया की राशि 1.15 लाख करोड़ रुपये है। इसमें दक्षिणांचल का 24,947 करोड़ रुपये, पूर्वांचल में 40,962 करोड़ रुपये, मध्यांचल में 30,031 करोड़ रुपये, पश्चिमांचल में 16,017 करोड़ रुपये और केस्को में 3,866 करोड़ रुपये बकाया है। ऐसे में कारपोरेशन बकाया बिल वसूलकर ही 5,825 करोड़ रुपये के फायदे में आ जाएगा। तब निजीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अद्यक्ष अवधेश वर्मा का आरोप है कि कारपोरेशन जल्दबाजी में निजीकरण जैसे पीपीपी माडल को लाकर औद्योगिक अशांति पैदा कर रहा है।

कर्मचारियों के पावर कारपोरेशन में बापस आने पर किसी भी तरह से पदोन्नति बाधित न हो इसके लिए उसी अनुपात में पदोन्नति के पद भी बने रहेंगे।